UPPG010014022026

न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं.–2, प्रतापगढ़।
पीठासीन अधिकारी–राम लाल–द्वितीय, (एच.जे.एस.)
JO Code–UP–6467
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–510/2026

तबरेज उर्फ तब्बू उर्फ अतीक खांन उम्र 30 वर्ष सुत स्व 0 सगीर खां,
निवासी ग्राम–पूरे गोलिया, थाना–रानीगंज, जिला– प्रतापगढ़।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश

.....विपक्षी

मु0 अ 0 सं0 : 415/2025
धारा–191(2), 191(3), 190, 119(1),
115(2), 352, 351(3), 324(4) बी.एन.एस.
थाना–रानीगंज, जिला–प्रतापगढ़।

<u>दिनांकः–10.03.2026</u>

1. प्रार्थी/अभियुक्त **तबरेज उर्फ तब्बू उर्फ अतीक खांन** द्वारा मु०अ०सं०– 415/2025, धारा– 191(2), 191(3), 190, 119(1), 115(2), 352, 351(3), 324(4) बी.एन.एस.., थाना–रानीगंज, जिला प्रतापगढ़ के अंतर्गत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे असत्य कथनों के आधार पर परेशान करने के लिए फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी घटना की तारीख व समय पर घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। प्रार्थीच ने वादी मुकदमा की किसी सम्पत्ति व भूमि पर कब्ज नहीं किया है। रंजिश के कारण प्रार्थी को नामित किया गया है। प्रार्थी का कथित भूमि व सम्पत्ति से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। सह अभियुक्त अशफाक अहमद, राजेन्द्र पटेल, मो0 अफजल आदि की जमानत माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी कभी का सजायाफ्ता नहीं है। पूर्व में पार्टी बंदी के कारण कुछ मुकदमे पंजीकृत हुआ है, जिसमें अधिकांश मुकदमो में दोषमुक्त हो चुका है और कुछ में जमानत पर मुक्त है। प्रार्थी/ अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में विचाराधीन है न ही प्रस्तुत हुआ है और न ही निरस्त हुआ है।
2. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)/अभियोगी मुकदमा द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कहा कि आवेदक/अभियुक्त का लम्बा आपराधिक इतिहास है तथा आवेदक/अभियुक्त अभ्यस्त अपराधी है। आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।
3. सुना पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।
4. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना दिनांक को अभियोगी अपने दुकान पर बैठा था उसी समय राजेन्द्र प्रसाद पटेल, असफाक अहमद, तब्बू उर्फ तबरेज, संतोष दूबे के साथ कुछ लोग अज्ञात कई वाहनो से जिसमें कुछ के नम्बर U.P–72.BL 2022 बुलेट मोटरसाइकिल व U.P.32QH 8404 काली रंग की स्कारपियो हाथ में लाठी डण्डा फावड़ा लेकर

Digitally signed by RAM LAL
Date: 2026.03.10 17:05:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियोगी की दुकान पर आये और उसकी वेश कीमती सम्पत्ति जमीन को जबरन हड़पने की नियत से उसके दुकान की सटर को तोडने एवं ईट, सीमेन्ट, व रेता मॅगा कर जमीन के कुछ अंश पर नीव खोदकर जबरन निर्माण करने लगे अभियोगी ने सम्पत्ति हडपने एवं जबरन निर्माण करने से मना किया तो उक्त लोग उसको भद्दी–भद्दी गालियों देते हुए गिराकर लात घूसे से मारने पीटने लगे हल्ला गुहार सुन अभियोगी के भाई संदीप कुमार केसरवानी ने पुलिस को सूचना दिया मौके पर पुलिस को आते देख उक्त सभी लोग अभियोगी व उसके परिवार को जान से खत्म कर देने की एलानिया धमकी देते हुए मौके से भाग गये। उक्त लोग अपराधिक किस्म के व्यक्ति है जो कई वार अपराधिक मामलों में जेल जा चुके है। जिससे अभियोगी व उसके परिवार के लोगो पर जान माल का खतरा बना हुआ है।

5. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज होना बताया गया है। मामला जमीनी रंजिश का होना बताया गया है। अभियोगी मुकदमा को प्राण घातक चोट आना नहीं बताया गया है। सह अभियुक्त की जमानत पूर्व में हो चुकी है। विचारण में समय लग सकता है। अभियुक्त दिनांक 18.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रश्नगत मामले में बिना गुण दोष पर विचार किये आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

6. प्रार्थी/अभियुक्त **तबरेज उर्फ तब्बू उर्फ अतीक खांन** का जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मुबलिग **पचास हजार** रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि की **दो** प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर, इस आशय की अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर कि–

I. अभियुक्त आरोप विरचन हेतु न्यायालय उपस्थित रहेगा।

II. अभियुक्त बयान मुल्जिम 313 हेतु न्यायालय उपस्थित रहेगा।

III. अभियुक्त अनावश्यक रूप से दौरान विचारण स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

IV. अभियुक्त बिना न्यायालय की अनुमति के भारत से बाहर नहीं जायेगा।

V. यदि अभियुक्त अपना वर्तमान पता बदलते हैं तो अपने नवीन पता के संबंध में संबंधित थाना/न्यायालय को सूचित करेगा।

VI. अभियुक्त गवाहो को न तो डरायेंगे न तो धमकायेगा

VII. अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा, जमानत पर रिहा किया जाये।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SUO MOTO (क्रिमिनल) संख्या–4/2021 में पारित आदेश दिनांकित 31.01.2023 व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी CL–07/Admin 'G–II' दिनांकित 14.03.2023 के अनुपालन में आदेश की सॉफ्ट प्रति जेल अधीक्षक, कारागार, प्रतापगढ़ को जरिये ई–मेल इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाये कि आदेश का इंद्राज e–Prison Software में करें और जमानतनामें दाखिल न किये जाने की स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करें।

दिनाँक : 10.03.2026

(राम लाल–द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं.02, प्रतापगढ़।
JO Code–UP–6467

अभयराज/– स्टेनो